



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / शिशि/2023-24/ 1068

भोपाल, दिनांक 18/5/23

प्रति,

संचालक

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल।

विषय- सत्र 2023-24 में आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल में संचालित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश में आनलाइन प्रवेश-प्रक्रिया संबंधी नियम एवं निर्देश।

-00-

सत्र 2023-24 के लिए आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम 'एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश' में एम०पी० आनलाइन के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया जाता है :-

- 1- मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)के अधीन आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल संचालित है। यह संस्थान प्रदेश का एकमात्र शासकीय संस्थान है, जहां अंग्रेजी भाषा के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्य क्रम संचालित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्धता प्राप्त है।
- 2- अधिकार -प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने, प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्तों/प्रवेश नियमों एवं प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश को रहेगा। प्रवेश के संबंध में आयुक्त/संचालक के निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे। आनलाइन काउन्सलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यकता होने पर इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप संचालक/आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।

3- प्रभावशीलता –यह प्रवेश नियम आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान , राज्य शिक्षा केंद्र में संचालित 'एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश' पाठ्यक्रम में प्रभावशील होंगे ।

4- संस्थान की मीटों का विवरण -

पाठ्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध मीट	अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध मीट	कुल मीट
एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश	20	10	30

5-प्रवेश हेतु पात्रता -

5.1 संस्थान के एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत (स्कूल शिक्षा विभाग / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) सभी व्याख्याता /शिक्षक/प्रधानाध्यापक /उच्च माध्यमिक शिक्षक/ माध्यमिक शिक्षक पात्र होंगे जो विद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन कर रहे हों , तथा जिन्हे 01 जुलाई 2023 को या इसके पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष का अंग्रेजी विषय के शिक्षण का अनुभव हो ।

5.2 संस्थान की मीटें रिक्त रहने पर कंडिका 5.1 में उल्लिखित संवर्ग की उपलब्धता न पाये जाने पर परस्पर तथा शासकीय सेवारत प्राथमिक शिक्षक संवर्ग से सीटें भरी जा सकेंगी |वर्षों उन्होंने अहर्ताकारी उपाधि प्राप्त कर ली हो तथा उन्हें माध्यमिक अथवा उच्च /उच्चतर स्तर में न्यूनतम एक वर्ष का पढ़ने का अनुभव हो ।

5.3 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है ।अपवाद स्वरूप उचित कारण होने पर पाठ्यक्रम के दौरान अभ्यर्थी को संस्थान से मूल संस्था की ओर मुक्त किया जा सकेगा । शासकीय सेवक को उसके लिए निर्धारित सभी आनुशासनिक/ आचरण नियमों का पालन करना होगा ।

5.4 अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम का सत्र प्रारम्भ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई 2023 को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उमर कम होनी चाहिए ।

6- प्रवेश हेतु शैक्षणिक अहर्ता -

एम० ए० अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंको के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधिधारी ।

7-आवेदन प्रक्रिया -

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम पी आनलाइन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इन्टरनेट सुविधा अथवा एम पी आनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं :-

7.1 पंजीयन - सभी अभ्यर्थियों को <http://rsk.mponline.gov.in> पर आनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन हेतु एम पी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

7.2 पंजीयन करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेज़ यथा कक्षा -10 ,12, एवं स्नातक , स्नातकोत्तर इत्यादि की अंकसूची , संस्था प्रधान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र , अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित दस्तावेज़ एम .पी .आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

7.3 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एसएमएस द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।

8-सीट आवंटन -

8.1 अभ्यर्थियों के प्रवेश अहर्ताकारी परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर निर्मित मेरिट सूची के अनुसार गुणानुक्रम में निर्धारित काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।

8.2 समान संवर्ग के अभ्यर्थियों के अहर्ताकारी परीक्षा में अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि को वरीयता दी जाएगी।

8.3 निर्धारित तिथि तक आवंटित सीटों के विरुद्ध पर्याप्त मान्य आवेदन न होने की स्थिति में रिक्त रह गई सीटों को कंडिका 5.1 एवं 5.2 के आधार पर काउन्सलिंग के अन्य राउंड में भरा जाएगा।

8.4 सीट आवंटन के आधार पर एम पी आनलाइन द्वारा अभ्यर्थी के लिए आनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा , एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एस एम एस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

9. संस्थान में प्रवेश की प्रक्रिया :

9.1 संस्थान में प्रवेश लेने हेतु एम पी ऑनलाइन पोर्टल <http://rsk.mponline.gov.in> पर (प्रवेश प्रारम्भ एवं समाप्ति की तारीख) अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा।

9.2 संस्थान को एम पी ऑनलाइन द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की सूची मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान द्वारा संधारित मेल आई डी - rsk.elti@mp.gov.in एवं eltibhopal@gmail.com एम पी ऑनलाइन से पत्र व्यवहार हेतु मान्य होंगे।

9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्र होने पर पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थी को संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन कराना पड़ेगा।

9.4 अभ्यर्थियों को इसके पश्चात नियमानुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी की सीट संस्थान द्वारा लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा तथा इसकी सूचना अभ्यर्थी को मेल एवं एसएमएस द्वारा दी जाएगी।

10- शुल्क - आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में प्रवेश के उपरांत राज्य शासन एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगी।


(धनराज एस०)
11/05/2023

संचालक


राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल

पृष्ठा क्रमांक / राशिके / शिशि/2023-24/ 1069

भोपाल, दिनांक 18/5/23

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, माननीय राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 3- आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल।
- 4- आयुक्त लोक शिक्षण, लोक शिक्षण संचालनालय, (म०प्र०) भोपाल।
- 5- कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।
- 6- ममस्त जिलाशिक्षाधिकारी / सहायक आयुक्त अनु०जाति विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 7- मुख्य परिचालन अधिकारी, एम पी ऑनलाइन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 8- आई सी टी कक्ष, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर education portal पर अपलोड करने हेतु।


संचालक

11/05/2023
राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल